क्रमांक 152 / बो.प्र. / नि.स. / 2020 /
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
शिवनाथ भवन, नवा रायपुर

दिनांक /08/2020

अपीलार्थी		**प्रतिअपीलार्थी**
श्री त्रिभुवन दास, अधिवक्ता, कार्यालय–4 / 16, ईस्पात नगर, रिसाली, भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)	— **विरुद्ध** —	श्री एल. बी. शाह जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़, रायपुर

1. प्रकरण क्रमांक 152 की सुनवाई आज दिनांक 14.08.2020 को की गई। सुनवाई में संबंधित जनसूचना अधिकारी श्री एल.बी. शाह, कार्यपालन अभियंता, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर एवं अपीलार्थी श्री त्रिभुवन दास, अधिवक्ता, रिसाली, भिलाई, जिला दुर्ग उपस्थित हुए।

2 अपीलार्थी श्री त्रिभुवन दास ने बताया कि उनके आवेदन दिनांक 13.03.2020 के द्वारा चाही गई जानकारी के परिप्रेक्ष्य में जनसूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी सही नही है, जिससे व्यथित होकर उनके द्वारा यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।

3. प्रकरण के अवलोकन में पाया गया कि अपीलार्थी के पत्र दिनांक 13.03.2020 के द्वारा जनसूचना अधिकारी, छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय नया रायपुर से तीन बिन्दुओं में जानकारी मांगी गई थी, जो कि संक्षेप में निम्नानुसार हैः–

1. छ.ग. जल संसाधन विभाग में शासकीय सेवकों के कुल अनुमोदित पद संख्या जिसमें अनारक्षित वर्ग / पिछड़ा वर्ग / अनु.जाति वर्ग एवं अनु.जनजाति वर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व ?
2. छ.ग. जल संसाधन विभाग के अनु.जाति एवं अनु.जनजाति वर्ग के शासकीय सेवकों के पदोन्नति में नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है अथवा नहीं, यदि नही तो कारण ?
3. छ.ग. जल संसाधन विभाग के नियमित पदोन्नति में अनु.जाति एवं अनु.जनजाति के शासकीय सेवकों को दिनांक 09.12.2019 के बाद वरिष्ठता क्रम में कितनी पदोन्नति दी गई है ?

346
25/8/20

जनसूचना अधिकारी श्री एल.बी. शाह के नस्ती के अवलोकन मे पाया गया कि अवर सचिव, जनसूचना अधिकारी, छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रलाय, रायपुर के पत्र क्रं. 1016 / 858 / 31 / स्था / 2020, दिनांक 05.05.2020 के द्वारा प्रकरण को यह उल्लेख करते हुए कि "चाही गई जानकारी का निकटतम संबंध आपके कार्यालय से होने के कारण" जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर को हस्तांतरित किया गया। उक्त प्रकरण दिनांक 11.05.2020 को जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर को प्राप्त हुआ।

प्रकरण के अवलोकन में पाया गया कि जनसूचना अधिकारी द्वारा नोटशीट के माध्यम से वांछित जानकारी संबंधित कक्ष से मांगी गई, जिसके परिप्रेक्ष्य में संबंधित कक्ष द्वारा 3 पृष्ठ की जानकारी जनसूचना अधिकारी को उपलब्ध करायी गई, जिसे कार्यालयीन पत्र क्रं. 4112275 / 32 / छ.ग. / 2020 / 4676, दिनांक 03.06.2020 के द्वारा मय नोटशीट की छायाप्रति आवेदक श्री त्रिभुवन दास को प्रेषित की गई।

नस्ती के अवलोकन मे पाया गया कि आवेदक श्री त्रिभुवन दास को प्रेषित जानकारी में छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा स्वीकृत सेटअप के अनुसार स्वीकृत / कार्यरत / रिक्त / आधिक्य पदों की जानकारी (दि. 1.5.2020 की स्थिति में) तीन पृष्ठों में दी गई, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रीणी के कर्मचारियों की संख्यात्मक जानकारी संकलित है।

जनसूचना अधिकारी ने बताया कि उक्त जानकारी आवेदक द्वारा वांछित बिन्दु क्रं.–1 के परिप्रेक्ष्य में उन्हें दी गई एवं शेष बिन्दुओं हेतु संबंधित कार्यालयों से पृथक–पृथक आवेदन कर जानकारी प्राप्त कर सकने का लेख किया गया।

आवेदक के आवेदन दिनांक 13.03.2020 के बिन्दु क्रं.–1 के अवलोकन मे पाया गया कि आवेदक द्वारा स्वीकृत पदों की वर्गवार (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अनु.जाति एवं अनु.जनजाति) जानकारी मांगी गई थी, परन्तु जनसूचना अधिकारी द्वारा वर्गवार जानकारी उपलब्ध कराने के स्थान पर एकजाई स्वीकृत पदों की क्लासवार जानकारी उपलब्ध करायी गई। जिससे यह परीलक्षित होता है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को यथा वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गई, जिससे व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

जनसूचना अधिकारी से पूछे जाने पर बताया गया कि "वांछित जानकारी स्थापना कक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी, जिसमें नोटशीट के माध्यम से यह भी जानकारी दी गई थी कि वांछित जानकारी वृहद स्वरूप का होने के कारण शेष बिन्दुओं की जानकारी हेतु समस्त मुख्य अभियंताओं को पृथक–पृथक आवेदन करना होगा, तदनुरूप जानकारी आवेदक को उपलब्ध करायी गई एवं शेष बिन्दुओं की जानकारी हेतु पृथक–पृथक आवेदन करने का सुझाव दिया गया।"

अपीलार्थी के प्रथम अपील आवेदन दिनांक 25.06.2020 पर सुनवाई दिनांक 15.07.2020 को निर्धारित की गई थी, जिसमें कतिपय कारणों से अपीलार्थी श्री त्रिभुवन दास उपस्थित नहीं हो पाये, जिसके फलस्वरूप उपस्थित जनसूचना अधिकारी श्री एल.बी. शाह को सुना गया एवं प्रकरण का अध्ययन किया गया। अध्ययन में पाया गया कि आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी अनुरूप उन्हें पूर्ण जानकारी जनसूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गई है।

प्रकरण के अवलोकन उपरान्त स्थापना कक्ष के प्रभारी श्री एस.एस. देवांगन, अधीक्षक को बुलाकर चर्चा की गई। श्री देवांगन द्वारा बताया गया कि आवेदक द्वारा बिन्दु क्रं.–1 में चाही गई जानकारी के अनुरूप वर्गवार (अनारक्षित/अनु.जाति/अनु.जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग) स्वीकृत पदों की जानकारी इस कार्यालय (कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर) में उपलब्ध नहीं है। पूछे जाने पर बताया गया कि स्वीकृत पदो के विरूद्ध कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की वर्गवार जानकारी तैयार की जा सकती है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री देवांगन को निर्देशित किया गया कि आवेदक द्वारा वांछित जानकारी में से जो भी जानकारी सामान्य तौर पर तैयार की जा सकती है, उसे तैयार कर जनसूचना अधिकारी को उपलब्ध करा दी जावे। इसी तारतम्य में श्री देवांगन द्वारा दो पृष्ठों की जानकारी तैयार कर जनसूचना अधिकारी को उपलब्ध करायी गई, जिसे जनसूचना अधिकारी द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रं. 6895, दिनांक 17.07.2020 के द्वारा आवेदक को प्रेषित की गई। पूछे जाने पर अपीलार्थी श्री त्रिभुवनदास द्वारा उक्त जानकारी प्राप्त होने की अभि–स्वीकृति दी गई।

बिन्दु क्रं.–1 के परिप्रेक्ष्य में आवेदक को उपलब्ध करायी गई उक्त जानकारी पर आवेदक द्वारा संतुष्टि जाहिर की गई, परन्तु उपलब्ध करायी गई पूर्व की जानकारी एवं बाद में उपलब्ध करायी गई जानकारी के आंकड़ो में काफी भिन्नता होने के कारण असंतुष्टि जाहिर की गई। अपीलार्थी द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि उनको उपलब्ध करायी गई पूर्व जानकारी के अनुरूप ही वर्गवार जानकारी उपलब्ध करायी जानी चाहिए थी जो कि नहीं कराया गया।

उपरोक्त दोनों जानकारी के अवलोकन में पाया गया कि उपलब्ध करायी गई प्रथम जानकारी जल संसाधन विभाग की राज्य स्तर की जानकारी है, जबकि उपलब्ध करायी गई पूरक जानकारी मात्र कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर से संबंधित है। स्थापना कक्ष के अधीक्षक श्री देवांगन से पूर्व सुनवाई के दौरान की गई चर्चा में यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि राज्य स्तर की वर्गवार जानकारी इस कार्यालय (कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर) में उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण सामान्य तौर पर जो जानकारी (प्रमुख अभियंता स्तर की) तैयार की जा सकती है वह जानकारी तैयार कर उपलब्ध करायी गई।

प्रकरण के अध्ययन एवं उभयपक्ष को सुनने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि बिन्दु क्रं.–1 से संबंधित शेष जानकारी एवं बिन्दु क्रं.–3 से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु अपीलार्थी चाहे तो जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित कार्यालयों में पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सकते है।

1. कार्यालय मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, शहीद भगत सिंह चौक, रायपुर छ.ग.
2. कार्यालय मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, शहीद भगत सिंह चौक, रायपुर छ.ग.
3. कार्यालय मुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, नेहरू चौक के पास बिलासपुर छ.ग.
4. कार्यालय मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, नेहरू चौक के पास बिलासपुर छ.ग.
5. कार्यालय मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, फुन्नुडिहारी अंबिकापुर छ.ग.

बिन्दु क्रं.–2 की जानकारी शासन स्तर से संबंधित होने से जानकारी जनसूचना अधिकारी, छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रलाय, नवा रायपुर से प्राप्त की जा सकती है।

अपीलार्थी को उपरोक्तानुसार सुझाव के साथ प्रकरण निराकृत किया गया।

हस्ता/–
(परमानन्द जांगड)
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
शिवनाथ भवन, नया रायपुर

पृ. क्रमांक 152/बो.प्र./नि.स./2020/ 7461 दिनांक 17/08/2020
प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षण अभियंता (MIS), कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, डाटा सेंटर रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के बेबसाईट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. जनसूचना अधिकारी एवं अवर सचिव, छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
3. श्री लाल बहादुर शाह, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. श्री त्रिभुवन दास, अधिवक्ता, कार्यालय–4/16, ईस्पात नगर, रिसाली, भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

17.8.20
(परमानन्द जांगड़े)
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
शिवनाथ भवन, नवा रायपुर